सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01/2016 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रकरण सं0 01/16

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1.प्रबन्धक, जे0सी0टी0 मिल लि0, श्री गंगानगर।
2.दी सादुल टैक्सटाईल मिल, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू0 राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित : राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
श्री रामप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश **दिनांक : 18–01–17**

स्टेट द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम 6 जैड पटवार मण्डल रामनगर भू अभिलेख निरीक्षक वृत रामनगर तहसील श्री गंगानगर का राजस्व ग्राम है। साबिक खसरा नं0 158 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नं0 159 में 108.18 बीघा, खसरा नं0 160 में 17.09 बीघा वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 खाता सं0 82 में 32.333 है0 गैरमुमकिन जे0सी0टी0 मिल लि0 के नाम दर्ज है। साबिक खसरा नं0 158 रकबा 42 बीघा, खसरा नं0 159 रकबा 119 बीघा 14 बिस्वा कुल 161 बीघा 14 बिस्वा भूमि जमाबंदी मौजा 6 जैड सम्वत्2001 सन् 1944–45 नंबर खतौनी 12 पर आराजी राज जोहड़ मय पायतन गैरमुमकिन दर्ज है। वर्तमान खसरा नं0 96 की भूमि 127 बीघा 17 बिस्वा गैरमुमकिन मिल के रकबा में साबिक खसरा नं0 158 का 1.10 बीघा तथा खसरा नं0 159 का 108.18 बिस्वा कुल 110 बीघा 8 बिस्वा भूमि पूर्व में गैरमुमकिन जोहड़ मय पायतन दर्ज थी। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2026 से 35 खाता सं0 42 खसरा नं0 96 का रकबा 127 बीघा 17 बिस्वा गैरमुमकिन मिल श्री सादुल टैक्सटाईल, श्री गंगानगर के नाम से दर्ज रेकार्ड है। बन्दोबस्त के बाद की जमाबंदियॉ लगातार सम्वत् 2067 से 70 तक की जमाबंदियों में दी सादुल टैक्सटाईल मिल श्री गंगानगर के नाम से दर्ज रहा है। नामान्तरणकरण सं0 342 दिनांक 7–9–15 द्वारा यह रकबा सादुल टैक्सटाईल मिल श्री गंगानगर से जे0सी0टी0 मिल लि0 के नाम दर्ज किया गया है। वर्तमान में मौका पर जे0सी0टी0 मिल का कोई कारखाना चालू हालत में नहीं है। पूर्व में यहॉ पर कपड़ा मिल चलती थी जो अब काफी अर्सा से बंद हो चुकी है। भूमि मिल के काम में नहीं ली जा रही है। मशीनरी वगैरा हटाई जा चुकी है। भूमि का स्वरूप बदल दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

बनाम राजस्थान सरकार में डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 में दिये गये निर्णय दिनांक 2.8.04 के अनुसार नदी,नाले,जोहड़,पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबंद है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपालसिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य निर्णय दिनांक 28–1–11 के अनुसार प्रकरण रेफरेन्स योग्य है। ग्राम 6 जैड जमाबंदी सम्वत् 2067 से 70 खाता सं0 82 पर दर्ज खसरा नं0 96 रकबा 32.333 है0 गैरमुमकिन मिल में से साविक खसरा नं0 158 का 1.10 बीघा तथा साविक खसरा नं0 159 का 108.18 बीघा कुल 110.08 बीघा भूमि नियमविरूद्व दर्ज है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 में जोहड़ पायतन की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इस प्रकार निवेदन किया है कि उक्त भूमि पर जे0सी0टी0 मिल लि0 का नाम हटाकर राजकीय भूमि दर्ज की जावे।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा रेफरेन्स का जवाब पेश किया गया।

स्टेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा है कि खसरा नं0 158 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नं0 159 में 108.18 बीघा, खसरा नं0 160 में 17.09 बीघा वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 खाता सं0 82 में 32.333 है0 गैरमुमकिन जे0सी0टी0 मिल लि0 के नाम दर्ज है। खसरा नं0 158 रकबा 42 बीघा, खसरा नं0 159 रकबा 119 बीघा 14 बिस्वा कुल 161 बीघा 14 बिस्वा भूमि जमाबंदी मौजा 6 जैड सम्वत 2001 सन् 1944–45 नंबर खतौनी 12 पर आराजी राज जोहड़ मय पायतन गैरमुमकिन दर्ज है। वर्तमान खसरा नं0 96 की भूमि 127 बीघा 17 बिस्वा गैरमुमकिन मिल के रकबा में साबिक खसरा नं0 158 का 1.10 बीघा तथा खसरा नं0 159 का 108.18 बिस्वा कुल 110 बीघा 8 बिस्वा भूमि पूर्व में गैरमुमकिन जोहड़ मय पायतन दर्ज थी। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2026 से 35 खाता सं0 42 खसरा नं0 96 का रकबा 127 बीघा 17 बिस्वा गैरमुमकिन मिल श्री सादुल टैक्सटाईल, श्री गंगानगर के नाम से दर्ज रेकार्ड है। बन्दोबस्त के बाद की जमाबंदियॉ लगातार सम्वत् 2067 से 70 तक की जमाबंदियों में दी सादुल टैक्सटाईल मिल श्री गंगानगर के नाम से दर्ज रहा है। नामान्तरणकरण सं0 342 दिनांक 7–9–15 द्वारा यह रकबा सादुल टैक्सटाईल मिल श्री गंगानगर से जे0सी0टी0 मिल लि0 के नाम दर्ज किया गया है। वर्तमान में मौका पर जे0सी0टी0 मिल चालू नहीं है। पूर्व में यहॉ पर कपड़ा मिल चलती थी जो अब काफी अर्सा से बंद हो चुकी है। भूमि का उपयोग औद्योगिक रूप में नहीं किया जा रहा है। भूमि का स्वरूप बदल दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 में दिये गये निर्णय दिनांक 2.8.04 के अनुसार नदी,नाले,जोहड़,पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबंद है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपालसिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य निर्णय दिनांक 28–1–11 के अनुसार प्रकरण रेफरेन्स योग्य है। ग्राम 6 जैड जमाबंदी सम्वत् 2067 से 70 खाता सं0 82 पर दर्ज खसरा नं0 96 रकबा 32.333 है0 गैरमुमकिन मिल में से साबिक खसरा नं0 158 का 1.10 बीघा तथा खसरा नं0 159 का 108.18 बीघा कुल 110.08 बीघा भूमि नियमविरूद्व दर्ज है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 में जोहड़ पायतन

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

01/2016 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर A7/3

की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। रेफरेन्स में वर्णित रकबे का मिलान, मिलान क्षेत्रफल मौजा चक 6 जैड से होता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि उक्त भूमि पर जे0सी0टी0 मिल लि0 का नाम हटाकर राजकीय खाते में भूमि दर्ज की जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि रेफरेन्स 70 वर्ष की अत्यधिक लम्बी अवधि के बाद पेश किया गया है, जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपने इस तर्क के समर्थन में 2014(1) डी0एन0जे0(राज0) पेज 387, आर आर डी 14.5.10 पेज 260 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रेफरेन्स अत्यधिक भारी विलम्ब से पेश किया हुआ होने के कारण खारिज होने योग्य है। अपनी बहस में आगे यह भी कहा है कि स्टेट द्वारा रेफरेन्स में वर्णित भूमि जे0सी0टी0 मिल को आवंटित नहीं की गई है बल्कि जे0सी0टी0 मिल द्वारा स्टेट से बाजार दर की कीमत अदा कर खरीद की गई है तथा औद्योगिक उपयोग के रूप में भूमि का उपयोग किया जाता रहा है। रेफरेन्स में वर्णित भूमि को प्रतिफल के बदले आवंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था और उक्त आवंटन आयुक्त, बीकानेर के हस्ताक्षरों से किया गया था। प्रस्तुत रेफरेन्स पर भू राजस्व अधिनियम , 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विचार करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। उक्त धारा के अन्तर्गत केवल उन्हीं वाद/रेकार्ड का अवलोकन/जॉच करने के अधिकार प्राप्त हैं, जिसका निर्णय उनके अधीन किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा लिया गया हो। आवंटन आदेश तथा पट्टा दिनांक 30–5–1953 जिलाधीश से उच्च अधिकारियों द्वारा जारी है। उक्त भूमि राजस्व अर्जित भूमि नहीं है बल्कि श्री गंगानगर नगर परिषद की सीमाओं में स्थित फ्री होल्ड भूमि है। उपरोक्त भूमि बीकानेर राज्य द्वारा बाजार मूल्य पर मै0 सादुल टैक्सटाईल को पट्टे की शर्तो पर विक्रय की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार में प्रतिपादित किये गये तथ्य इस भूमि पर चस्पा नहीं होते हैं। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1956 में लागू हुआ था परन्तु उक्त भूमि बीकानेर स्टेट से वर्ष 1947 में पूरी बाजार कीमत देकर खरीद की गई थी इसलिए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 16 के प्रावधान इस रेफरेन्स पर लागू नहीं होते हैं। अप्रार्थीगण के पक्ष में इंतकाल माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देशानुसार किया गया था इसलिए उक्त भूमि के मालिकाना हक के संबंध में कोई मुद्दा नहीं है। हस्तगत रेफरेन्स 70 वर्ष की अत्यधिक लम्बी अवधि के बाद स्टेट द्वारा पेश किया गया है, इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा भी इस भूमि के मालिकाना हक के बारे में कभी कोई आपति नहीं दर्शायी गई है और मै0 सादुल टैक्सटाईल का जेसीटी लि0 के साथ विलय को अनुमति प्रदान की गई थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं 70 वर्ष की अत्यधिक विलम्ब की अवधि को मध्यनजर रखते हुए रेफरेन्स को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टान्तों को गहनता से अवलोकन किया गया।

विद्वान अप्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि रेफरेन्स अत्यधिक भारी विलम्ब 70 वर्ष बाद पेश किया गया है इसलिए रेफरेन्स मियाद बाहर होने से खारिज किया जावे। उक्त तर्क का खण्डन करते हुए राजकीय अधिवक्ता

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

01/2016 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर A7/4

ने कहा है कि रेफरेन्स के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए रेफरेन्स कभी भी किया जा सकता है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2014 (1) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 387 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 82–रेफरेन्स–परिसीमा– भूमि कय करने के 35 वर्ष बाद रेफरेन्स किया– परिसीमा विहित नहीं है लेकिन युक्तियुक्त समय में रेफरेन्स करना चाहिये – कपट अथवा दुर्व्यपदेशन का आरोप नहीं – निर्णीत, भारी विलम्ब के बाद रेफरेन्स स्वीकार करने में राजस्व मण्डल ने गम्भीर त्रुटि की है "।

प्रस्तुत प्रकरण में जे0सी0टी0 मिल लि0 द्वारा राज्य सरकार से वर्ष 1947 में औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि कय की गई थी। भूमि कय करने के लगभग 70 वर्ष बाद हस्तगत रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 14.5.2010 पेज 260 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " Rajasthan Tenancy Act, Section 232 - Reference to Board - Power to call for record and reference to Board - Decree passed by A.C.M. on 10.10.1979- In exercise of power u/s 232, Addl. Collector made reference to Board on 10.10.94. - Board accepted reference on 14-3-96 - No just reason or material on record justifying exercise of power u/s 232 after such a long delay 7 Held , reference made by addl. Collector and power exercise by Board, were unreasonable and unjust - Case law discussed.

इसी प्रकार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूएलसी (राज0) 1996(2) पेज 36 में यह मत व्यक्त किया है कि :–

" The additional Collector as well as Board of Revenue could not have exercise the power confirmed upon them under sec. 82 of the Act of 1956 and under sec. 232 Rajasthan Tenancy Act after a period of 25 years."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के पेज सं0 37 पर ए0आई0आर0 1962 एस0सी0 256, ए0आई0आर0, एस0सी0 637 ए0आई0आर0 एस0सी0 1272, ए0आई0आर0 1993 एस0सी0 185 का विवेचन करते हुए उद्धरित किया गया है :–

B :Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Ss.15, 82; Rajasthan Tenancy Act, 1955, S. 232 - Exercise of Revisional Power by Board of Revenue - Limitation for - No provision of period of limitation u/s 82 of Act of 1956 and u/s 232 of Act of 1955 - Absence of specific period of limitation does not mean that authority on whom power has been conferred can exercise same at

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

Scanned with CamScanner

any time - Invocation of power after inordinate delay and exercise of power after unreasonable lenth of time, unjust - Nature of land immaterial, from point of view of nature of power which ought be exercised reasonably within reasonable time - Requirement of reasonableness to be read into provision conferring power - unreasonable on part of additional Collector as well as Board to have exercise power u/s 82 of Act and u/s 232 of Act os 1955 after about 24 years.

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निम्न निर्णयों में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अर्सा 9 साल उपरांत न्यायालय रेफरेन्स नहीं कर सकती। न्यायिक दृष्टान्त निम्नानुसार है :–

1. 2016(1) आर आर टी पेज 288
2. 2016(2) आर आर टी पेज 810
3. 2012 आर आर डी पेज सं0 131
4. 1996 आर आर डी पेज सं0 170 (मा0 उ0 न्यायालय)
5. 2000 आर आर डी पेज सं0 52 (मा0 उ0 न्यायालय)
6. 2006 आर बी जे पेज सं0 521
7. ऐ आई आर 1956 पेज 154 (मा0 रा0 उ0 न्यायालय)
8. डी0एन0जे02005 पेज 163

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का खण्डन राजकीय अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में यह स्पष्ट है कि हस्तगत रेफरेन्स अत्यधिक विलम्ब से 70 वर्ष बाद पेश किया गया है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत रेफरेन्स पर भू राजस्व अधिनियम , 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है क्योंकि उक्त धारा के अन्तर्गत केवल उन्हीं वाद/रेकार्ड का अवलोकन/जॉच करने के अधिकार प्राप्त हैं, जिसका निर्णय उनके अधीन किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा लिया गया हो। हस्तगत निगरानी प्रकरण में आवंटन आदेश तथा पट्टा दिनांक 30–5–1953 जिलाधीश से उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। उक्त तर्क का विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कहा है कि हस्तगत रेफरेन्स की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को है। अतः अप्रार्थी के अधिवक्ता का उक्त तर्क निरस्त किया जाना चाहिये।

राजस्थन भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है : –

Power to call for record and proceding and reference to state Government or Board.

प्रस्तुत रैफरेंस स्टेट द्वारा भू– राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ हों, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है।

हस्तगत रेफरेन्स में जिस आदेश/पट्टा को चुनौति दी गई है, वह आदेश/पट्टा अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

01/2016 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

बल्कि रेफरेन्स में वर्णित भूमि बीकानेर राज्य द्वारा बाजार मूल्य पर मै0 सादुल टैक्सटाईल को पट्टे की शर्तो पर विक्रय की गई थी। ऐसी स्थिति में रेफरेन्स की सुनवाई का अधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 16 के प्रावधान इस रेफरेन्स पर लागू नहीं होते हैं। इसके खण्डन में राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 में दिये गये निर्णय दिनांक 2.8.04 के अनुसार नदी,नाले,जोहड़,पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबंद है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपालसिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य निर्णय दिनांक 28-1-11 के अनुसार प्रकरण रेफरेन्स योग्य है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार में प्रतिपादित किये गये तथ्य इस भूमि पर चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि हस्तगत रेफरेन्स में वर्णित भूमि आवंटन से संबंधित नहीं है बल्कि सादुल टैक्सटाईल लि0 द्वारा बाजार दर से स्टेट से क्रय की गई थी। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1956 में लागू हुआ था परन्तु उक्त भूमि बीकानेर स्टेट से वर्ष 1947 में पूरी बाजार कीमत देकर खरीद की गई थी इसलिए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 16 के प्रावधान इस रेफरेन्स पर लागू नहीं होते हैं। रेफरेन्स में वर्णित भूमि को प्रतिफल के बदले आवंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था और उक्त आवंटन आयुक्त, बीकानेर के हस्ताक्षरों से जारी किया गया था। अप्रार्थीगण के पक्ष में इंतकाल माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देशानुसार किया गया है।

अतः प्रस्तुत रेफरेन्स स्टेट द्वारा अत्यधिक विलम्ब से पेश किया होना होने से मियाद बाहर होने के कारण एवं बिना विधिक अधिकारिता के प्रस्तुत किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः स्टेट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स मियाद बाहर होने से एवं बिना विधिक अधिकारिता के होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति मय मूल रेकार्ड विधिक परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्री गंगानगर को प्रेषित किया जावे। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, श्री गंगानगर को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 18-01-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/1/17

(करतारसिंह पूनियां)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner